

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.



मि०न० - 134/2022

अनवान : -

1. रजनीश पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा

वादी

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचंद्र जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. नवीन कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार उम्र 18 वर्ष जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जरिये कुदरती वली पिता राजेन्द्र कुमार।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
4. एच.डी.एफ.सी बैंक लि० शाखा ऐलनाबाद जरिये शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान
कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री विनोद सिंगाठिया वादीगण
श्री सुरेन्द्र गढवाल प्रतिवादीगण


निर्णय

दिनांक: 20-09-22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक नं० 5 बी.आर.डब्ल्यू के खाता सं० 63/79 के मु० न० 51 के किला न० 11, 12/1, 12/2, 13 ता 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23, 24, 25 कुल 3.7430है० नहरी, गै० मु० रास्ता 0.0520है० व रोही मौजा चक 1 बारानी के खाता सं० 100/82 के मु० न० 3 के किला न० 11, 12, 19, 20, 25/1, 25/2, मु० न० 4 के किला न० 15, 16, मु० न० 6 किला न० 5, 6, 15, मु० न० 7 किला न० 1 ता 12, 19 ता 22 कुल 6.5780है० जिसमें से बारानी 6.5650है० गै० मु० रास्ता 0.0130है० खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के दादा श्योकरण की खातेदारी हुआ करती थी। प्रतिवादी सं० 1 कर्ता खामदान होने के कारण तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं० 1 व 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा देने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी सं० 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया व प्रतिवादी सं० 4 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।


उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य वादी में वादी रजनीश पुत्र राजेन्द्र कुमार के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिरामें
वर्तमान जमाबंदी के साथ साथ पैतृक जमाबंदी व वारिसान प्रमाण पत्र तस्दीक करवाये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया
कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीकी किया जावें जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहगती प्रकट
की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने
रोही मौजा चक चक 5 बी.आर.डब्ल्यू के खाता सं० 63/79 के मु० न० 51 के किला न० 11,
12/1, 12/2, 13 ता 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23, 24, 25 कुल
3.7430है० नहरी, गै० मु० रास्ता 0.0520है०, व रोही मौजा चक 1 बारानी के खाता सं० 100/82
के मु० न० 3 के किला न० 11, 12, 19, 20, 25/1, 25/2, मु० न० 4 के किला न० 15, 16,
मु० न० 6 किला न० 5, 6, 15, मु० न० 7 किला न० 1 ता 12, 19 ता 22 कुल 6.5780है० जिरामें
से बारानी 6.5650है० गै० मु० रास्ता 0.0130है० खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र कुमार
के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है।
जिसमें प्रतिवादी सं० 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं० 2 का जन्म से हक हिरसा निहित है। इस
प्रकार वाद भूमि में वादी रजनीश 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र कुमार 1/3 हिस्सा व
प्रतिवादी सं० 3 नवीन कुमार 1/3 हिस्सा जरिये कुदरती वली पिता राजेन्द्र के खातेदार
काश्तकार है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीकी योग्य होने के कारण स्वीकार योग्य होने
के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती
है कि रोही मौजा चक चक 5 बी.आर.डब्ल्यू के खाता सं० 63/79 के मु० न० 51 के किला न०
11, 12/1, 12/2, 13 ता 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23, 24, 25
कुल 3.7430है० नहरी, गै० मु० रास्ता 0.0520है०, व रोही मौजा चक 1 बारानी के खाता सं०
100/82 के मु० न० 3 के किला न० 11, 12, 19, 20, 25/1, 25/2, मु० न० 4 के किला न०
15, 16, मु० न० 6 किला न० 5, 6, 15, मु० न० 7 किला न० 1 ता 12, 19 ता 22 कुल 6.
5780है० जिसमें से बारानी 6.5650है० गै० मु० रास्ता 0.0130है० खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं०
1 राजेन्द्र कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, मैं तन्हा प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र कुमार की
बजाय वादी रजनीश 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र कुमार 1/3 व प्रतिवादी सं० 2
नवीन 1/3 हिस्सा जरिये वली कुदरती पिता राजेन्द्र कुमार के अनुसार खातेदार काश्तकार
घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।
यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दसमद
किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्व
डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/3/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में



(शकुंतला चौधरी) R.S.
उपस्थानकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़
भादरी (जिला-हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि०न० - 134/2022

अनवान : -

1. रजनीश पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचंद्र जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. नवीन कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार उम्र 18 वर्ष जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जरिये कुदरती वली पिता राजेन्द्र कुमार।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
4. एच.डी.एफ.सी बैंक लि० शाखा ऐलनाबाद जरिये शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद सिंगाठिया व वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र गढवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक चक 5 बी.आर.डब्ल्यू के खाता सं० 63/79 के मु० न० 51 के किला न० 11, 12/1, 12/2, 13 ता 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23, 24, 25 कुल 3.7430है० नहरी, गै० मु० रास्ता 0.0520है०, व रोही मौजा चक 1 बारानी के खाता सं० 100/82 के मु० न० 3 के किला न० 11, 12, 19, 20, 25/1, 25/2, मु० न० 4 के किला न० 15, 16, मु० न० 6 किला न० 5, 6, 15, मु० न० 7 किला न० 1 ता 12, 19 ता 22 कुल 6.5780है० जिरामें से बारानी 6.5650है० गै० मु० रास्ता 0.0130है० खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, मैं तन्हा प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र कुमार की बजाय वादी रजनीश 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र कुमार 1/3 व प्रतिवादी सं० 2 नवीन 1/3 हिस्सा जरिये वली कुदरती पिता राजेन्द्र कुमार के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/9/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी



(शकुंतला चौधरी) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला-हनुमानगढ़
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)